संख्या–1910/9–आ–2–2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 30 जून, 2001

विषय : सम्पत्तियों के आवंटन में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री किये जाने के समय में पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–645/9–आ–2–2001–3एचबी(51)/2001दिनांक–8.3.2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश के द्वारा निर्धारित की गयी नीतिगत व्यवस्था के अन्तर्गत यदि कोई आवंटी (स्त्री) द्वारा स्त्री धन से सम्पत्ति क्रय किये जाने की पुष्टि करते हुए रजिस्ट्री में पति का नाम सम्मिलित न किए जाने का अनुरोध किया जाय, तो उसे स्वीकार कर लिया जाय।

3. कृपया उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 1910(1)/9–आ–2–2001 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिरीक्षक, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, आयुक्त एंव प्रमुख सचिव, आवास एंव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
6. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

7. आवास अनुभाग–2
8. आवास विभाग के समस्त अनुभाग एवं अधिकारीगण।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव